जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 23.11.2024**

थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में पीड़िता के परिजनों द्वारा दिनांक 09.11.2024 को थाना कांधला पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 23.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी कैराना के निर्देशन/निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इखलाक पुत्र दिन्ना निवासी ग्राम मलकपुर थाना कांधला जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 23.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.सूरज पुत्र बालिस्टर निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2002 में अभियुक्त/अभियुक्ता 1.धर्मेन्द्र पुत्र रतना 2.श्रीमती कौशल्या पत्नी रतना निवासीगण ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 642/2002 धारा 429 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 429 भादवि में 5,00-5,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2004 में अभियुक्त ईसराइल पुत्र शब्बीर फकीर निवासी ग्राम अजीजपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 08/2004 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.धर्मेन्द्र पुत्र रतना निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।
2.श्रीमती कौशल्या पत्नी रतना निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।
3.ईसराइल पुत्र शब्बीर फकीर निवासी ग्राम अजीजपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI